रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, सोमवार सितम्बर 23, 1985/अश्विन 1, 1907
NO. 424] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23 1985/ASVINA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1985

सा. का. नि. 750(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) और (6) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परादीप पत्तन के न्यासीमंडल में इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री एस. के. दमनिया के दिवंगत श्री के. आर. आर. राव को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार

में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 235 (अ) दिनांक 29 मार्च, 1984 और सा. का. नि. 796 (अ) दिनांक 30 नवम्बर 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 11 के सामने प्रविष्टि में शब्दों और अक्षरों "श्री एस. के. दमनिया" के बदले शब्द और अक्षर "श्री के. आर. आर. राव" रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू/पी. टी. बी-27/83]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING ADN TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 1985

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by section 10, read with sub-sections (1) and (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri K.R.R. Rao, a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Paradip, representing the Indian National Shipowners Association vice Shri S. K. Damania, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 235(E), dated 29 March, 1984 and G.S.R. No. 796(E) dated 30 November 1984, namely :—

In the said notification, in the entry against Serial Number 11, for the words and letters "Shri S. K. Damania", the words and letters "Shri K. R. R. Rao", shall be substituted.

[F. No. P.W./PTB-27/83]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985